संख्या–499 / 12–5–2014– 32 / 90 टी0सी0

प्रेषक,

देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग–5

लखनऊः दिनांक 04 सितम्बर, 2014

विषयः राजस्व निरीक्षकों / लेखपालों द्वारा विभिन्न फसलों पर काप–कटिंग प्रयोगों के सम्पादन हेतु अनुमन्य दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– एस0–कैम्प –137 / 2013–14, दिनांक 9 सितम्बर , 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1481 / 12–5–2006 –32 / 90 टी0सी0, दिनांक 19 सितम्बर, 2006 को अतिक्रमित करते हुए राजस्व निरीक्षकों / लेखपालों को विभिन्न फसलों पर काप–कटिंग प्रयोगों के सम्पादन हेतु रू0 100.00 प्रति काप – कटिंग प्रयोग दर पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है:–

(1)	मजदूरी के मद में	रू0 40.00
(2)	मानदेय के मद में (राजस्व निरीक्षकों / लेखपालों, जिनके द्वारा काप–कटिंग करायी जाय)	रू0 40.00
(3)	क्षतिपूर्ति (प्रतिकर भत्ता) के मद में	रू0 20.00
	कुल योग–	रू0 100.00

2– आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनेत्तर–111–कृषि कार्य व्यवस्था तथा साँख्यिकी–03–कृषि आँकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

संख्या— 499(1)/12—5—2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2— सचिव, राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4— वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

5— वित्त (व्यय—नियंत्रक) अनुभाग—1

आज्ञा से,

(वेदप्रकाश सिंह राजपूत)

अनु सचिव।